भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 156

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 सितंबर, 2020/23 भाद्रपक्ष, 1942 (शक) को दिया जाना है।)

कॉर्पोरेट जगत के मुद्दे

156. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सितंबर, 2019 में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बाद कॉर्पोरेट जगत की चिंताओं का निराकरण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त घोषणाओं ने सरकार के प्रति उनके विश्वास को और अधिक मजबूत किया है और इससे निजी क्षेत्र में घटते निवेश को त्वरित गति से रोके जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों को कर बचत के बाद खरीद बढ़ाने के लिए उत्पादों की कीमतों में कटौती करने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप कंपनियों में छंटनी की प्रक्रिया रुकने की संभावना है और नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार में मंदी से निपटने में सहायता होगी और लाभ कमाने वाली कंपनियों के अधिक लोगों को नौकरी देने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विशेष रूप से उपभोक्ता, खुदरा, औद्योगिक विनिर्माण और निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों और जो कंपनियां उक्त कर छूट के तुरंत पश्चात् पहले से ही लाभ में हैं, में रोजगार के नवीन अवसरों के सृजित होने की संभावना है और यदि हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): जी, हां। सितंबर, 2019 में सरकार ने विभिन्न उपायों से विकास, निवेश एवं नए रोजगार अवसरों के प्रोत्साहन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम (सं.2), 2019 में संशोधन के माध्यम से अनेक उपायों को घोषित किया है। निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

I. कारपोरेट कर में 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत की कमी यदि कंपनी ने कोई छूट या प्रोत्साहन नहीं प्राप्त किया हो।

II. 01 अक्तूबर, 2019 को या उसके पश्चात नई घरेलू निगमित कंपनी एवं नए निवेश करने के लिए 15 प्रतिशत की दर से आय-कर भुगतान करने का विकल्प, यदि छूट या प्रोत्साहन नहीं प्राप्त किया हो और वे 31 मार्च, 2023 तक की दशा में उत्पादन शुरू कर दे।

III. मौजूदा कंपनियां जो कि छूट/प्रोत्साहन प्राप्त कर रही हैं, के लिए न्यूनतम विकल्प कर की वर्तमान दर में 18.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की कमी की गई।

IV. पूंजी बाजार में निधियों के प्रवाह को स्थिर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि वित्त (सं.2) अधनियम, 2019 द्वारा जारी परिष्कृत सरचार्ज को एक कंपनी के इक्विटी शेयर की बिक्री से प्राप्त पूंजी लाभ या एक इक्विटी उन्मुख निधि का एक यूनिट या प्रतिभूतियों के लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी एक

व्यवसायी इकाई, एक व्यक्ति के हाथ में, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), व्यक्तियों का संगठन (एओपी), व्यैक्तिक निकाय (बीओआई) और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी), पर लागू नहीं होगा।

V. किसी भी प्रतिभूति जिसमें साधित रूप शामिल हो को विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (एफपीआई) को बेचने से प्राप्त पूंजी लाभ में भी परिष्कृत सरचार्ज लागू नहीं होगा।

VI. सूचीबद्ध कंपनियों जिन्होंने 5 जुलाई, 2019 से पहले ही वापिस खरीदने की सार्वजनिक घोषणा कर दी है, को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी कंपनियों की स्थिति में शेयर को वापिस खरीदने के लिए प्रभारित न किया जाए।

VII. कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों (सीएआर) के 2 प्रतिशत खर्च के कार्यक्षेत्र को संशोधनों ने विस्तारित किया। सीएसआर 2 प्रतिशत निधि को केंद्र या राज्य सरकार या अन्य एजेंसी या सरकारी क्षेत्र उपक्रम द्वारा वित्तपोषित इन्यूवेटरो पर और संपोषणीय विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी में अनुसंधान करवाने में लगे हुए सरकारी वित्तपोषण विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वशासी निकायों को अंशदान देकर खर्च किया जा सकता है।

विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने, कॉरपोरेट कर ढांचे को सरलीकृत करने, सरकार को 'मेक इन इंडिया' पहल को प्रोत्साहित करने के लिए, नए रोजगार अवसरों का सृजन करने, कॉरपोरेट क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतियोगी बनाने तथा कॉरपोरेशन को अनुसंधान एवं विकास को सहायता करने में सक्षम बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।

तदनुसार, आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में ढांचागत सुधारों की घोषणा की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, एमएसएमई सहित व्यापार हेतु संपार्श्विक रहित स्वत: ऋण, भारग्रस्त एमएसएमई हेतु गौण ऋण एवं निधियों की निधि के जरिए एमएसएमई हेतु इक्विटी लगाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर पैकेज नई पीएसयू नीति, कोयला खदानों के वाणिज्यिकीकरण, रक्षा और अंतरिक्ष में उच्च एफडीआई सीमा, औद्योगिक भूमि/भूमि बैंकों और औद्योगिक सूचना तंत्र का विकास, सामाजिक अवसंरचना एवं नई विद्युत टैरिफ नीति के लिए अर्थक्षमता अंतराल निधियन के पुन:निर्माण की भी घोषणा की थी। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत किए गए उपाय विकास, निवेश को बढ़ाएंगे और रोजगार अवसरों का सृजन करेंगे।

****